भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1891
गुरुवार, 31 जुलाई, 2025/9 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एएआईबी की रिपोर्ट

1891. श्री के. सुधाकरन:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया ने 12 जून, 2025 को अहमदाबाद में उड़ान संख्या एआई-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ईंधन नियंत्रण स्विच को बंद करने संबंधी 2018 एफएए परामर्श के अनुपालन सहित सभी अनिवार्य सुरक्षा जांचों और अनुरक्षण नवाचारों का पालन किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त दुर्घटना की जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति में वरिष्ठ बोइंग 787 पायलट, विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ और स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं और यदि हां, तो इसके सदस्यों की संरचना और योग्यताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) की जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से 12 जुलाई, 2025 की प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट की चूक का समयपूर्व आरोपण किए जाने की चिंताओं के मद्देनजर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) 12 जून, 2026 तक प्रस्तुत होने वाली अंतिम एएआईबी रिपोर्ट में तेजी लाने और बोइंग 787 ऑपरेटरों तथा जीई जीईएनएक्स-1बी इंजन विनिर्माताओं के लिए अंतरिम सुरक्षा सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): अहमदाबाद में दिनांक 12.06.2025 को एअर इंडिया उड़ान एआई-171 की दुर्घटना के प्रमुख संभावित कारण(कारणों)/योगदायी कारक(कारकों) को निर्धारित करने के लिए वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2017 के नियम-11 के तहत महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण का आदेश दिया गया है। इन नियमों के तहत और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) एनेक्स 13 के अनुसार की गई जांच उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत होती है।

एक प्रारंभिक रिपोर्ट एएआईबी की वेबसाइट www.aaib.gov.in पर प्रकाशित की गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट उपलब्ध तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित थी और इसमें किसी निष्कर्ष का उल्लेख नहीं है।

जाँच में सहायता के लिए बी787 टाइप रेटिड अनुभवी पायलट, टाइप रेटिड इंजीनियर, विमानन चिकित्सा विशेषज्ञ, मानव कारक विशेषज्ञ और उड़ान रिकॉर्डर विशेषज्ञों को विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमई) के रूप में रखा गया है।

*****